मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 01.01.2026

क्रमांक एफा-बी/ **AGR/23/0009/2025-O/o SECY-14(AGR)** /14-1:- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतगर्त संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल, अंतर्गत संभाग एवं जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी की **EHRMS** पर ऑनबोर्डिंग व निर्धारित समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु **सार्थक-एप** दिनांक 05 जनवरी 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। तदानुसार निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. सार्थक एप पर उपस्थिति के आधार पर ही प्रत्येक माह देय वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाये।
2. प्रदेश के विभागाध्यक्ष अंतर्गत प्रत्येक ऑफिस के सभी अधिकारी/कर्मचारी (रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स एवं अन्य) **पोर्टल पर प्रविष्टि दिनांक 01-01-2026 तक सुनिश्चित करें।**
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रणकर्ता अधिकारी अंतर्गत नोडल अधिकारी विभागीय पत्र क्रं.8/0001/2025-0/० SECY-14(AGR) दिनांक 09-12-2025 द्वारा पूर्व से निर्धारित किये गए है।
4. प्रत्येक स्टेट एडमिन द्वारा, विभागाध्यक्ष के अनुक्रम में ऑफिस एडमिन / रिपोर्टिंग ऑफिसर (RO) बनाएं **(दिनांक 01-01-2026 तक सुनिश्चित करें।)**
5. विभागाध्यक्ष अंतर्गत, रिपोर्टिंग ऑफिसर (RO) द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ऑफिस के सभी यूजर-अधिकारी/कर्मचारी (रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्स एवं अन्य) की सार्थक एप पर ऑनबोर्डिंग दिनांक **01-01-2026** तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उनके मोबाइल पर सार्थक-एप डाउनलोड करवा कर उपस्तिथि दर्ज करवाना सुनिश्चित करें ।
6. वर्ष 2025-26 के गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) EHRMS पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत होंगे।

7. भविष्य में स्थानांतरण संबंधी आवेदन केवल EHRMS पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत होंगे।
8. प्रत्येक विभागाध्यक्ष अंतर्गत नोडल अधिकारी- एस्टाब्लिशमेंट इन चार्ज ऑफिसर (EIO), एस्टाब्लिशमेंट इन चार्ज क्लर्क (EIC) का निर्धारण एवं अधीनस्थ कार्यालयों के ऑफिस एडमिन का निर्माण दिनांक 01-01-2026 तक सुनिश्चित करें।
9. EIC द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों का प्रोफाइल बनाना, सर्विस बुक को स्कैन करना और पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
10. प्रोफाइल अप्रूवर का निर्धारण किया जाये, जो EIC द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की बनाई हुई प्रोफाइल को वेरीफाई कर अप्रूव करेंगे।
11. जिला तथा संभाग स्तर पर स्थापना शाखा के प्रभारी कम से कम वर्ग-2 स्तर के अधिकारी EIO रहेंगे।
12. विभागाध्यक्ष अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक ऑफिस के सभी अधिकारी/कर्मचारी (रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट एवं अन्य) की ऑनबोर्डिंग eHRMS पोर्टल पर आगामी 10 दिवस में पूर्ण किया जाये।
13. उक्त ऑनबोर्डिंग के कार्य हेतु प्रशिक्षण एमपीएसईडीसी टीम के सहयोग प्रदाय किया गया है। संबंधित किसी अन्य समस्या हेतु नोडल ऑफिसर के माध्यम से श्री अंशुल अग्रवाल से Agrawal.anshul@mp.gov.in एवं श्री चंद्रेश पाठक, MPSEDC e.hrms@mp.gov.in पर संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
14. सार्थक एप, EHRMS के कार्य की प्रगति की समीक्षा सचिव महोदय की साप्ताहिक टीएल बैठक में की जाएगी।(क्रंमांक-2 से 5 तक निर्देश विभागीय पत्र क्रं.1032/2025/14-1 दिनांक 22-12-2025 द्वारा किये गये थे।) - (क्रंमांक-6 से 12 तक निर्देश विभागीय पत्र क्रं.1/0009/2025-0/० SECY-14(AGR) दिनांक 19-12-2025 द्वारा किये गये थे।)

उक्त निर्देशों का कड़ाई से समय-सीमा में पालन सुनिश्चित किया जाय।

आदेशानुसार,

(अवनीश मिश्रा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि
विकास विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफा-बी/ AGR/23/0009/2025-O/o.SECY-14(AGR) /14-1भोपाल दिनांक 01.01.2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म०प्र०, भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ कृषि अभियांत्रिकी,सीएट भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड/ म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम/बीज प्रमाणीकरण संस्था/जैविक प्रमाणीकरण संस्था।
5. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश
6. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश
7. समस्त परियोजना अधिकारी, (आत्मा), मध्य प्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।
9. आर्डर फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि
विकास विभाग